प्रेस नोट बिजनौर पुलिस दिनांक–27.10.2020

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 343/20 धारा 302 भादवि0 से संबधित मृतक सोमवीर उर्फ सोनू की हत्या मे संलिप्त अभियुक्तगण 1- रविन्द्र ऊर्फ राँकी 2- सुनीता गिरफ्तार।

दिनाँक 26.10.2020 को वादी श्री अश्वनी पुत्र किशन सिंह नि0ग्राम मधूसूदनपुर उर्फ जलालपुर थाना नूरपुर जिला बिजनौर ने लिखित सूचना देकर अवगत कराया कि उसके भाई सोनू की हत्या मेरी भाभी सुनीता व रविन्द्र उर्फ सोनू ने मिलकर की है। इस सूचना पर थाने पर मु0अ0सं0 343/2020 धारा 302 भादवि0 बनाम रविन्द्र उर्फ सोनू व सुनीता पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा घटना की गंभीरता को देखते हुये घटना में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी नूरपुर को निर्देशित किया। इसी क्रम में थाना नूरपुर पुलिस द्वारा रविन्द्र व सुनीता को घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल ईंट सहित गिरफ्तार किया। इनके एक अन्य साथी ओमप्रकाश निवासी मोरना की गिरफ्तारी हेतु टीम बनाकर प्रयास जारी है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1. रॉकी उर्फ रविन्द्र पुत्र पवन सिंह निवासी ग्राम मधूसूदनपुर उर्फ जलालपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
2. सुनीता पत्नि सोनू उर्फ सोमवीर निवासी ग्राम मधूसूदनपुर उर्फ जलालपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण

आलाकत्ल-आधी ईंट

पूँछताछ का विवरण

श्रीमति सुनीता उपरोक्त ने पूँछताछ करने पर बताया कि साहब मेरे तीन बच्चे है। मेरा पति सोनू उर्फ सोमवीर शराब पीने का आदि हो गया था। वह रोजाना शराब पीकर घर आता था। घर की आमदनी कम थी और उसके शराब पीने का खर्चा ज्यादा था। घर का किसी तरह मजदूरी आदि करके काम चल रहा था। मेरा पति अक्सर शराब के नशे मे मेरे साथ मारपीट करता था तथा मुझे गलत धन्धे मे धकेलने एवं पैसा कमाने को कहता था। इसकी यातनाओ से तंग आकर मैने गांव के राँकी नाम के एक लडके से जो हमारी बिरादारी का है से सम्बन्ध बना लिये थे। अपने पति की यातनाओ से तंग आकर मै राँकी के साथ लगभग दो ढाई महीने पहले चली गयी थी और मै 21 दिन के बाद वापस लोट कर आ गयी थी। मैने राँकी के साथ मिलकर अपने पति को रास्ते से हटाने का मन बना लिया था। हमारे पास पैसे का जरिया भी बहुत कम था पैसे की व्यवस्था के लिये मैने ओमप्रकाश निवासी मोरना नाम के व्यक्ति से सम्पर्क किया। ओमप्रकाश हमारे घर आता जाता रहता था। मैने ओमप्रकाश को यह बात बता दी थी की मै अपने पति को रास्ते से हटाना चाहती हूँ। प्लान के मुताबिक मेरे पति को दशहरे के दिन मेले मे

ओंमप्रकाश द्वारा शराब पिलाई गयी थी और शराब पीने के उपरान्त मेरा पति रात्रि लगभग साढे दस ग्यारह बजे के आसपास घर आ गया तो मैने उसे खाना दिया और खाने मे तीन नीद की गोलिया भी दे दी । जिससे वह और अधिक नशे मे होकर चारपाई पर मदहोश होकर लेट गया तभी थोडी देर बाद राँकी भी हमारे घर आ गया । मौका पाकर राँकी ने मेरे पति के पैर दबा लिये और मैने एक आधी ईट से उसके सिर पर जोरदार तीन वार किये जिससे उसके सिर से काफी खून बहने लगा था । घटना के तुरन्त बाद रॉकी अपने घर चला गया था । इसी बीच मैने लोगो को दिखाने के लिये शोर मचाना शुरू कर दिया और मुह लपेट कर चार बदमाश मारपीट करके भाग जाने का शोर मचाया डॉक्टर के यहाँ ले जाते समय मेरे पति की मृत्यु हो गयी थी ।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण</u>

1- प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार पाँचाल 2-व0उ0नि0 श्री संजीव कुमार 3- उ0नि0 श्री सुमित राठी
4- का0 अनिल कुमार 5- का0 शुलभ यादव 6- म0का0 ममता देवी 7- म0का0 हेमलता ।

थाना नहटौर पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तगण को नकली फैक्ट्री चलाकर, नकली शर्ट पर कम्पनी के असली टैग लगाकर धोखाधडी से तैयार कर बेचने के संबंध में किया गिरफ्तार।

मु0अ0सं0- 393/2020 धारा 420/483 भादावि व धारा 63/65 कॉपीराइट एक्ट थाना नहटौर बिजनौर

दिनांक घटनाः- 26.10.2020 समय 13.00 **दिनांक सूचनाः-** 26.10.2020 समय 14.10 बजे

घटना स्थल/गिरफ्तारी का स्थानः- मौ0 सराय रजबअली कस्बा व थाना नहटौर

नाम वादीः- श्री नीरज पुत्र नरेन्द्र सिह नि0 बी0 133 आर0के0 पुरम गोविन्दपुरम जिला गाजियाबाद।

प्रतिवादीः- 1. सरफराज पुत्र महमूद, 2. सोएब पुत्र सरफराज, 3. साद पुत्र सरफराज नि0गण सराय रजबअली थाना नहटौर जिला बिजनौर

घटना का विवरणः-

दिनांक 26.10.2020 को वादी श्री नीरज पुत्र नरेन्द्र सिह निवासी बी0 133 आर0के0 पुरम गोविन्दपुरम जिला गाजियाबाद ने अपनी कम्पनी के नाम पर अभि0गण उपरोक्त के द्वारा अवैध नकली फैक्ट्री चलाकर नकली शर्ट पर कम्पनी के असली टैग लगाकर धोखाधडी/कापीराइट से तैयार कर बेचने के सम्बन्ध मे थाना हाजा पर मु0अ0स0393/2020 धारा 420/483 भादावि व धारा 63/65 कॉपीराइट एक्ट पंजीकृत कर अभि0गण 1.सरफराज पुत्र महमूद, 2. सोएब पुत्र सरफराज, 3. साद पुत्र सरफराज नि0गण सराय रजबअली थाना नहटौर जिला बिजनौर को मय बरामद माल सुपर डाई कम्पनी की तैयार शर्ट 520, अधवनी शर्ट 214 टैग लेवल कैलविन क्लेन CK की 552 तैयार शर्ट 460 टैग, 1000 लेवल टैग लिवाइस कम्पनी की 50 तैयार शर्ट USA कम्पनी की 265 तैयार शर्ट तथा 02 सिलाई मशीन टिपीकल कम्पनी के गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी-

अभि0गण के कब्जे से सुपर डाई कम्पनी की तैयार शर्ट 520, अधबनी शर्ट 214 टैग लेवल कैलविन क्लेन CK की 552 तैयार शर्ट 460 टैग, 1000 लेवल टैग लिवाइस कम्पनी की 50 तैयार शर्ट USA कम्पनी की 265 तैयार शर्ट तथा 02 सिलाई मशीन टिपीकल कम्पनी।

आपराधिक इतिहास अभि0गणः-

393/2020 धारा 420/483 भादावि व धारा 63/65 कोपीराइट एक्ट

गिरफ्तार करने वाली टीमः- 1.व0 उ0नि0 श्री सुदेशपाल सिह 2. उ0नि0 श्री अशोक कुमार 3. उ0नि0 श्री रामेश्वर सिह 4. कां0 150 जफरूद्दीन 5. कां0 107 दिनेश चाहल 6. कां0 2082 बिटटू कन्दोल

पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देशन में समस्त थाना प्रभारी मय फोर्स के सभी बैंकों को चैक कर, बैंक में आने वाले लोगों को कोविड-19 से बचाव हेतु मास्क लगाने व कैश जमा करने/निकालने के दौरान सोशल डिस्टेसिंग बनाये रखने हेतु बताया गया।

थाना अफजलगढः- थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा अभियुक्त शरीफ अहमद पुत्र अख्तर हुसैन निवासी ग्राम मनिया वाला एवं अब्दुल रब पुत्र मोहम्मद अख्तर हुसैन ग्राम मनिया वाला थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना अफजलगढः- थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा अभियुक्त गुरचरण सिंह पुत्र भगवान सिंह निवासी ग्राम टांडा हिदायत पुर थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 317/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

थाना स्योहाराः- थाना स्योहारा पुलिस द्वारा 09 नफर व्यक्ति अभियुक्त1. मोहम्मद कासिम पुत्र शमशीद निवासी मोहल्ला हयातनगर 2.गौतम पाल पुत्र खेम सिंह निवासी फैजुल्लापुर 3.शाहिद पुत्र अखलाक 4 राशिद पुत्र मोहम्मद 5. साजिद पुत्र अखलाक निवासी ऑफगाना सहसपुर 6.राजपाल सिंह पुत्र जग्गू सिंह 7.धर्म सिंह पुत्र जग्गू 8.महेंद्र सिंह उर्फ बबलू पुत्र जग्गू निवासी कुरी बांगर 9.अवनीश पुत्र ओमप्रकाश निवासी गोविंदपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को अंतर्गत धारा 151/107/116 crpc में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना कोतवाली शहरः- थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा 04 अभियुक्तगण 1- रिजवान पुत्र सलीम 2- शहजाद पुत्र फय्याजूद्दीन निवासीगण ग्राम आदोपुर 3- महेन्द्र पुत्र सुक्खे सिंह 4- भजन सिंह पुत्र पनवा सिंह निवासीगण ग्राम जलालपुर काजी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना नगीना देहात- थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त सुरेंद्र पुत्र भागीरथ निवासी अवधि पुर थाना नगीना देहात जिला बिजनौर को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया। जिसके सम्बन्ध में थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 288/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

थाना शेरकोटः- थाना शेरकोट पुलिस द्वारा अभियुक्त शब्बू पुत्र रईस अहमद मोहल्ला हकीमां कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

जनपद बिजनौर दिनांक–27.10.2020

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
शारदीय नवरात्र, 2020 – बासन्तिक नवरात्र, 2021

जनपदीय एण्टी रोमियो प्रभारी उ0नि0 श्रीमती नीलम सिंह द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत मोहल्ला काजीपाडा में आसपास की महिलाओ को इकट्ठा कर हैल्पलाईन नंबर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 आदि के बारें जागरुक किया। साथ ही कोरोना से बचाव हेतु मास्क पहनने तथा दूरी बनाए रखने और जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में बताया।

थाना कोतवाली शहर की एंटी रोमियो टीम द्वारा अपने क्षेत्र/बाजार/बसो में जाकर बालिकाओं को उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं वालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये मिशन शक्ति के रूप में विशेष अभियान के सम्बन्ध में जागरूक कर चैकिंग अभियान चलाया।

थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा सुखदेव कृषक इंटर कॉलेज हैजरपुर में महिलाओ एवं बालिकाओ को उ0प्र0 शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत हैल्पलाईन नंबर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 आदि के बारें जागरुक किया। साथ ही कोरोना से बचाव हेतु मास्क पहनने तथा दूरी बनाए रखने और जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में समझाया।

प्रभारी निरीक्षक हीमपुर दीपा व एंटी रोमियो टीम द्वारा एसपी कान्वेंट रेजिडेंट पब्लिक स्कूल अकबरपुर तिगरी में महिलाओ एवं बालिकाओ को उ0प्र0 शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत हैल्पलाईन नंबर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 आदि के बारें जागरुक किया। साथ ही कोरोना से बचाव हेतु मास्क पहनने तथा दूरी बनाए रखने और जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में समझाया।

थाना स्योहारा की एंटी रोमियो टीम द्वारा थाना क्षेत्र में चैकिंग कर सभी को थाने में खुली महिला हेल्प डेस्क, हेल्पलाईन नम्बरो की जानकारी देते हुये।